वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम– जननी सुरक्षा योजना (संस्थागत प्रसव) ग्रामीण
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) : A.1.
बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या : A.1.4.2.a
कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण–

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है ।

यह प्रोत्साहन राशि गर्भवती महिला तथा संबद्ध ए.एम.एम/आशा/आँगनवाड़ी सेविका (जिन शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता नहीं है, वहाँ आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को निम्न कार्यों के बदले आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है ।

इकाई राशि (रू० में) – 2000/-

वित्तीय दिशा निर्देश–संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश–

कार्य	**लाभार्थी (गर्भवती महिला) ग्रामीण क्षेत्र**	**लाभार्थी (आशा/आंगनवाड़ी सेविका)**
गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन		100 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 1		
प्रसव पूर्व जाँच 2	300 रू०/–	100 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 3		
आई० एफ० ए० 1		
आई० एफ० ए० 2	300 रू०/–	
आई० एफ० ए० 3		100 रू०/–
टी० टी० 1		
टी० टी० 2	100 रू०/–	
बी०सी०जी० टीकाकरण	—	**100 रू०/–**
कुल	**700 रू०/–**	**400 रू०/–**
संस्थागत प्रसव	700 रू०/–	
कुल	**1400 रू०/–**	
ए.एन.एम./आशा/आंगनवाड़ी/गर्भवती महिला द्वारा वाहन की व्यवस्था	200 रू०/–	
कुल योग–	**2000 रू०/–संस्थागत प्रसव**	

नोट : –

1 आशा/आंगनवाड़ी सेविका द्वारा जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत किए गए सभी कार्यो के लिए एक मुश्त राशि शिशु के बी.सी.जी. टीकाकरण के पश्चात् संबंधित प्रा०स्वा०के०/सदर अस्पताल/ अनुमंडलीय अस्पताल से दी जाएगी ।

2 गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव के पश्चात एक मुश्त भुगतान देय होगा । गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व जाँच, आइ.एफ.ए.
तथा टी.टी का सत्यापन जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड पर अंकित सूचना तथा ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से किया जाएगा ।
(गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व जाँच, टी.टी., आई.एफ.ए. यदि सरकारी अस्पतालों के अलावा अन्य जगहों से सलाह/क्रय कर उपयोग किया गया है, उसकी भी मान्यता दी जाएगी)
अगर सरकारी अस्पतालों में आई.एफ.ए उपलब्ध नहीं है तथा आशा गर्भवती महिला को प्रेरित कर अन्य जगहों से क्रय कर आई.एफ.ए. का सेवन सुनिश्चित कराती है, वैसी स्थिति में आई.एफ.ए. हेतु भुगतान आशा को भी देय होगा ।

3 आशा द्वारा किए गए सभी कार्यों का सत्यापन जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड पर अंकित सूचना तथा ए.एन.एम. / स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से किया जाएगा । सभी ए.एन.एम. जच्चा के साथ आने वाली आशा का नाम कार्ड पर अंकित करेगी ।

विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देश –

गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल जाने के क्रम में हो जाती है तो सामान्य महिला लाभार्थी की तरह ही उक्त भुगतान राशि दी जा सकती है ।

गर्भवती महिला (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भुगतान निम्न प्रकार देय होगा–

(क) गर्भवती माता की प्रसव के पश्चात अगर मृत्यु हो जाए तो भुगतान शिशु के पोषण हेतु देय है ।

(ख) अगर मृत शिशु जन्म अथवा नवजात शिशु की मृत्यु हो तो भुगतान माता को पोषण हेतु देय है ।

(ग) अप्रशिक्षित या प्रशिक्षित आशा / आँगनवाड़ी सेविका को उक्त दोनों परिस्थितियों में भुगतान देय होगा । अगर माता और शिशु दोनों की मृत्यु हो जाए तो भुगतान केवल आशा को देय होगा ।

भुगतान की प्रक्रिया : महिला लाभार्थी एवं आशा को चेक के द्वारा भुगतान देय होगा ।

इस संदर्भ में यदि पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र न० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)SHSB/PM/22/2005/4345, Date:-12.09.2007(**संलग्न**)

(ख)SHSB/MCH/04/07/5342, Date:-22/02/2008 (**संलग्न**)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम– गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर– 9431005972,

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna - 800 014
Phone : 0612-2281544, 2281545, 2290321, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

बिहार सरकार

Udai Singh Kumawat, IAS
Executive Director

File No. SHSB/MCH/34/07/53

Date:- 22/02/2008

To,

All District Magistrate/Civil Surgeon

Sub- Payment to JBSY beneficiaries through cheques

Sir,

It has been decided that henceforth payment to all beneficiaries under Janani and Bal Suraksha Yojana shall be made though bearer cheques only. It is proposed to start this facility by 14th March 2008. It is requested that all necessary arrangements regarding obtaining necessary number of Cheque Books from the concerned Banks and issuing of necessary directions to all hospitals where deliveries take place may be completed by 14th March 08 so that this activity any be started by that date.

Incentive payments of ASHA shall be continued to be made in form of cash as before.

Sincerely Yours

Sd/-

(Udai Singh Kumawat)

Memo No. 5342 Date:- 22/02/2008.

Copy to:

Superintendent, All six Govt. Medical College Hospital (P.M.CH., N.M.C.H., D.M.CH., A.N.M.C.H., J.L.N.M.,C.H., S.K.M.C.H.).

(Udai Singh Kumawat)

(28)

FMR Code – A-1.2.2.1 (B) (29)

515

R-166

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290326, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-2012)

उदय सिंह कुमावत, भा० प्र० से०
कार्यपालक निदेशक

संचिका सं० SHSB/PM/22/2005
पत्रांकः– 4345 दिनांकः– 12.09.07

सेवा में,

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
पटना।

विषय :– जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के क्रम में मार्गदर्शन देने के संबंध में ।

संदर्भ : आपका पत्रांक– 8141, तारीख :– 28/08/20007 ।

महोदय,

जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिला एवं आशा को संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है यदि गर्भवती महिला(प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भुगतान निम्न प्रकार देय होगा –

- गर्भवती माता की प्रसव के पश्चात् अगर मृत्यु हो जाए तो भुगतान शिशु के पोषण हेतु देय है
- अगर मृत शिशु जन्म Still Birth) अथवा नवजात शिशु की मृत्यु हो तो भुगतान माता को पोषण हेतु देय है ।
- आशा को भी उक्त दोनों परिस्थितियों में भुगतान देय होगा । अगर माता और शिशु दोनों की मृत्यु हो जाए तो भुगतान केवल आशा को देय होगा ।

विश्वासभाजन

(29)